



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur-rj@gov.in वेब-साईट joda rajasthan gov.in Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2024/425

दिनांक:- 03/02/2024

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-4 (ले-आउट प्लान) की 04/2024 की बैठक दिनांक 07.02.2024 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपरिथत सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
07.02.2024	जोन-4	गंगाणा	95/1	05.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री मोहनराम पुत्र श्री भैराराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/1 रकबा 05.00.00 बीघा के अनुमोदित ले-आउट प्लान के संबंध में।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा के तथ्य एवं प्रस्ताव पर बाद विचार-विमर्श ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में लिये गये निर्णय व उक्त के क्रम में जारी शुद्धि-पत्र को निरस्त किया गया तथा अनुमोदित ले-आउट प्लान में खुला क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का किसी भी अन्य उपयोग यथा आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत इत्यादि के रूप में उपयोग अनुज्ञेय नहीं होने से नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2021, व्यापक जनहित व उक्त क्षेत्र के सुनियोजित विकास को मध्यनजर रखते हुये निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none">01. पूर्व में जोन स्तरीय ले-आउट प्लान समिति दिनांक 23.08.2013 द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान को यथावत रखा जावे।02. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 02 अनुसार “मूखण्ड संख्या के-1 से के-11 के मूखण्ड स्वामियो द्वारा खसरा संख्या 95/1 में आरक्षित खुला क्षेत्र की भूमि में से खसरा संख्या 95/2 से 95/10 को 60 फीट सडक से पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु आवासीय प्रयोजनार्थ आंवटन चाहे जाने पर तत्कालिन उपायुक्त पश्चिम के निर्देशानुसार समान क्षेत्रफल की खसरा संख्या 95/4 की 234.44 वर्गगज भूमि को पार्क/खुला क्षेत्र हेतु प्राधिकरण के हक में जरिये पंजीबत् लिखित समर्पणनामा दिनांक 22.09.2020 द्वारा समर्पित करवा दी गयी थी” के क्रम में जोन उपायुक्त के सुझाव अनुसार पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान में विक्रय योग्य क्षेत्रफल यथावत रखा गया है तथा खुला क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि को खुला क्षेत्र ही रखते हुये केवल आने-जाने के उपयोग में लिया जा सकेगा तथा 95/4 की पार्क/खुले क्षेत्र की भूमि योजनावासीयो व आमजन हेतु पार्क/खुले क्षेत्र के रूप में उपलब्ध रहेगी।03. जोन से संबंधित होने के कारण पूर्व में जोन स्तरीय ले-आउट प्लान समिति दिनांक 23.08.2013 द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान पर समर्पणनाम अनुसार खसरा संख्या 95/4 की भूमि को पार्क/खुला क्षेत्र (यूजेबल स्पेस) हेतु अंकन किया जावे तथा खसरा संख्या 95/4 की भूमि को प्राधिकरण के नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।04. जोन उपायुक्त अनुसार प्रकरण में जोन स्तरीय ले-आउट प्लान समिति दिनांक 23.08.2013 द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान को यथावत रखते हुये उक्त में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, प्राप्त आपत्ति पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान के परिपेक्ष्य				

	<p>मे दी गयी है। अतः प्राप्त आपत्ति में वर्णित तथ्यों की पृथक से जाँच संबंधित कार्यवाही जोन स्तर से की जायेगी।</p> <p>05. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि मास्टर प्लान की 200 फीट सड़क (झंवर से पाल बाईपास) व वसंत विहार से वैशाली टाउनशीप को जाने वाली 100 फीट सड़क के मध्य विद्यमान सड़क जो कि खसरा संख्या 95/1 की 60 फीट सड़क से मिलती है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान में भी 100 फीट दर्शाया गया है तथा जोनल प्लान अनुसार 100 फीट आरक्षित होने से मार्गाधिकार 100 फीट ही रखा जावे।</p>
--	--

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


07/02/2024

उप नगर नियोजक (द्वितीय)


एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2024/426-430 दिनांक:- 07/02/2024
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-4), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


07/02/2024

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति जोन-4 (ले-आउट प्लान) की 04/2023 की बैठक दिनांक 07.02.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री राकेश परिहार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन-4) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


07/02/2024

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव